

**समाहरणालय, दरभंगा
(जिला आपूर्ति शाखा)**

पत्रांक- 38 / आपूर्ति,

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा।
अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल।

लहेरियासराय, दिनांक- 16 वीं जनवरी, 2017.

विषय :- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यपण एवं रद्द किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या-18/लो0से0अ0-12-01/2016सा0प्र0-17408 दिनांक-30.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के संबंध में कहना है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से नया राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड से संबंधित (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यपण/रद्द किये जाने के संबंध में निदेश एवं इस कार्य में पदाधिकारियों के भूमिका का विस्तृत रूप में निदेश दिया गया है।

अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या-18/ लो0से0अ0 -12-01/ 2016 सा0प्र0-17408 दिनांक-30.12.2016 संलग्न करते हुये अनुरोध है कि दिये गये निदेश के आलोक में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यपण एवं रद्द करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


जिलाधिकारी,
दरभंगा।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 30.12.16

संख्या-18/लो०से०अ०-12-01/2016(खण्ड) 17408/बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19431 दिनांक-23.12.2013 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:-

1. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 का क्रमांक-7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“परिशिष्ट-1

क्र० सं०	विभाग का नाम/सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
7	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/ नाम जोड़ना/ नाम हटाना)	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(iii) राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

2. उपर्युक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 के बाद निम्नलिखित परिशिष्ट-11 जोड़ा जाएगा:-

“परिशिष्ट-11

**सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात
(चेक लिस्ट)**

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'क' में । 2. आधार कार्ड का छायाप्रति । 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है । 4. आवासीय प्रमाण-पत्र 5. विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो, के संबंध में शपथ-पत्र। 6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ ।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना)	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. व्यक्ति, जिसका नाम जोड़ा जाना है, के आधार कार्ड की छाया प्रति। 3. विभागीय आवेदन पत्र 'ख' के क्रमांक 8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, यथा :- <ol style="list-style-type: none"> i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण-पत्र ii. जन्म/मृत्यु का प्रमाण पत्र iii. राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियाँ जिनको शुद्ध किया जाना है, के लिए सरकारी प्रमाण-पत्र (सरकारी विद्यालय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि)।
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्दीकरण	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. विद्यमान राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्द करने के लिए आवेदन पत्र के क्रमांक 10 के संबंध में लागू कारण की छायाप्रति ।

सामान्य निर्देश

1. आवेदन-पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।
3. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
4. अहस्ताक्षरित या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिये जायेंगे ।
7. सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मियों की सेवा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

आधार/ EID no	मोबाईल नं०	व्यवसाय/सेवा	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. **ग्रामीण क्षेत्र** के आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हों नहीं
- (ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हों नहीं
- (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हों नहीं
- (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रू० से अधिक है, हों नहीं
- (v) आयकर देते है, हों नहीं
- (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हों नहीं
- (vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हों नहीं
- (viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हों नहीं
- (ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हों नहीं
- (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हों नहीं
- (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हों नहीं
अगर है तो उसका विवरण -
(क) किस सेवा में है -
(ख) कहां पदस्थापित है -
(ग) कितना मासिक आमदनी है -

11. **शहरी क्षेत्र** के आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकतानुसार हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) आयकर अदा करते है, हों नहीं
- (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग एवं वर्ग घ श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु०जाति/अनु० जनजाति के समूह 'घ' के कर्मियों को छोड़कर) में है, हों नहीं
अगर उसका विवरण -
(क) किस सेवा में है -
(ख) कहां पदस्थापित है -
(ग) कितना मासिक आमदनी है -
- (iii) व्यावसायिक कर अदा करते है, हों नहीं

- (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ नहीं
- (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रू० से अधिक है, हॉ नहीं
- (vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉ नहीं
- (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ नहीं
- (viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हॉ नहीं

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। मैंने इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अगर आवेदन-पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के अन्तर्गत :-

आवेदन पत्र - स्वीकृत अस्वीकृत

अस्वीकृत का कारण -

प्रपत्र 'ख'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणो
अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/ रद्द करने के लिए

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कडिका 3 का
उपकडिका 13, 14 तथा कडिका 4 उपकडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाईल नं०--
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. विद्यमान राशन कार्ड की सं०--
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं०--
8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण--
(क) निवास में परिवर्तन --
(ख) जन्म या मृत्यु --
(ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ --
(घ) अन्य कारण --
9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी --

क्र०	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार/ EID no	मोबाईल न0	व्यवसाय /सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण -

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :-

- मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हॉ नहीं
 - मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉ नहीं
 - सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं
 - परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रू0 से अधिक है, हॉ नहीं
 - आयकर देते हैं, हॉ नहीं
 - व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं, हॉ नहीं
 - जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हॉ नहीं
 - परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ नहीं
 - दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं
 - कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं
 - आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ नहीं
- अगर है तो उसका विवरण -
- किस सेवा में है -
 - कहाँ पदस्थापित है -
 - कितना मासिक आमदनी है -

(ख) शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :-

- आयकर अदा करते हैं, हॉ नहीं
 - आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु0जाति/अनु0 जनजाति के Group 'D' के कर्मियों को छोड़कर) में है, हॉ नहीं
- अगर उसका विवरण -
- किस सेवा में है -
 - कहाँ पदस्थापित है -

- (ग) कितनी मासिक आमदनी है -
- (iii) व्यवसायिक कर अदा करते हैं, हाँ नहीं
- (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हाँ नहीं
- (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- ₹0 से अधिक है, हाँ नहीं
- (vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण हैं, हाँ नहीं
- (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हाँ नहीं
- (viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हाँ नहीं

उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक रूपांतरण किया जाय/कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

घोषणा

महोदया/महोदय


मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ की आवेदन-पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियों सही हैं । अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

- 3 अधिसूचना संख्या-19431 दिनांक-23.12.2013 की शेष प्रविष्टियाँ पूर्णत रहेंगी।
- 4 समय-समय पर सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार इससे संबंधित अन्य प्रपत्र विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

अधिसूचना

संख्या-18/लो0से0अ0-12-01/2016(खण्ड)सा0प्र0.1.1.0.9./ अधिसूचना संख्या-1.1.1.0.8./ दिनांक-...3.0.1.2.1.6./ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

Government of Bihar
General Administration Department
(Notification)

No-18/Lo.Se.A.-12-01/2016(Part)-~~17408~~/ In exercise of the power conferred by the Section-3 of Bihar Right to Public Services Act ,2011 (Bihar Act,4,2011) the State Government makes following amendments in Notification No-19431 dated 23.12.2013 of General Administration Department, Bihar, Patna with immediate effect :-

1. Serial No-7 of Appendix -1 of the above notification would be substituted as follows :-

"Appendix-1

S. No.	Name of the Department/Service	Namely Specified Public Servant	Stipulated Time for Service	Appellate Authority	Stipulated Time for Disposal of First Appeal	Reviewing Authority	Stipulated Time for Disposal of Second Appeal
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Food and Consumer Department. (i) Issuance of New Ration Card	Sub-Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissioner	15 working days
	Food and Consumer Department. (ii) Rectification of Ration Card (Rectification in name /addition or deletion of name)	Sub-Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissioner	15 working days
	Food and Consumer Department. (iii) Surrender/ Cancellation of Ration Card	Sub-Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissioner	15 working days

"

2. Appendix –II will be added after Appendix-I of the concerned notification:-

“Appendix-II

Documents to be submitted for the specified Service (Check List)

Name of Service	Check List
1. Issuance of New Ration Card	1. Application in Department's Pro-forma 'k' 2. Photo Copy of Adhar Card 3. Photo Copy of the First Page of Bank Account which reflects Name, Account Number , Name of Account Holder , IFSC Code of Bank 4. Residential Certificate 5. Affidavit regarding Serial No. 10 or 11 (whichever is applicable) of Department's Pro-forma 'K' 6. Three Group Photographs of the whole family
2. Rectification in Ration Card (Rectification in Name, Addition / deletion of Name)	1. Application in Department's Pro-forma 'kh' 2. Photo Copy of Adhar Card of Person whose Name is applied for addition 3. Photo Copies of Certificates of valid ground regarding Serial No. 8 & 9 of Department's Pro-forma 'kh' e.g. i. Certificate required for residential change ii. Birth or death Certificate iii. Government Certificate –Certificate given by Government School, Adhar Card, Voter ID, Driving License, PAN Card etc. in respect of the errors required to be corrected
3. Surrender/Cancelation of Ration Card	1. Application in Department's Pro-forma 'kh' 2. Photo copy of valid reason for Surrender /Cancelation of Ration Card required in respect of the Serial No. 10 of Application Form


General Instructions

1. Only one copy of duly filled application should be submitted.
2. Numerous applications submitted by any Person, Organisation or Political Party will not be accepted.
3. Incomplete application will be rejected.
4. Unsigned or application without thumb impression will be rejected.
5. Hand written, typed copy, photo copy or pro-forma downloaded from NIC website will also be accepted, subject to its uniformity with the prescribed pro-forma.
6. All applications will be accepted through RTPS.
7. Government Service means service of personnel serving under Central / State Government in regular pay scale or in Public Enterprises, Local Bodies and Autonomous Organisations / Bodies.
8. Application of Ration Card under RTPS of eligible house-hold will be submitted at the Sub-divisional office of the concerned region.
9. Received applications will be forwarded by the Sub-Divisional Officer to the concerned Block Development Officer through RTPS within one week. After making essential verification Block Development Officer will revert applications to the concerned Sub-divisional Officer within 15 days.
10. Ration Card will be issued after approval of the concerned Sub-Divisional Officer.

Application Pro-forma- 'k'

(Pro-forma for new Ration Card under Bihar Right to Public Services Act)

{See Section 9 of National Food Security Act, 2013 and Sub Para -13, 14 of Para-3 and Sub Para-7, 8, 9 of Para-4 of Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015}



1. Name of Applicant
2. Adhar/EID Number
3. Mobile Number
4. Father's/Husband's Name of Applicant
5. Full Residential Address
6. IFSC Code of Bank
7. Bank's Account Number
8. Name of Bank & Branch
9. List of other family members for Ration Card

Sl. No.	Name	Father's/Husband's Name	Gender	Age	Marital Status	Relation
1	2	3	4	5	6	7

Adhar/EID No.	Mobile No.	Occupation / Service	Source of Income	Monthly Income
8	9	10	11	12

--	--	--	--	--

10. Applicant of Rural Area will tick either Yes /No of the followings:-

- (i) Whether owns motor driven tricycle / four wheeler
- (ii) Whether owns machine driven three/four wheeled agriculture equipments Yes No
- (iii) Whether holds non-agriculture professional family house-hold registered under the government Yes No
- (vi) Whether monthly income of any member of family is more than Rs. 10,000/- Yes No
- (v) Whether pays Income Tax Yes No
- (vi) Whether pays professional tax Yes No
- (vii) Whether all rooms (either three or more) of house in which he/she lives is made up of cemented walls and roof Yes No
- (viii) Whether family holds at least one agriculture equipment with 2.5 or more acres of irrigated land Yes No
- (ix) Whether holds house-hold with five or more acres of irrigated land for two or more crop seasons Yes No
- (x) Whether holds house-hold having one agriculture equipment at least with 7.5 or more acres of land Yes No
- (xi) Whether applicant or any member of family is in service Yes
If Yes, give following details:-
 - (a) Name of Service-
 - (b) Place of posting –
 - (c) Monthly income-

11. Applicant of Urban Area will tick either Yes /No of the followings:-

- (i) Whether pays Income Tax Yes No
- (ii) Whether applicant of any member of his/her family is in Group A, Group B, Group C and Group D (excluding group D member of Schedule Caste /Schedule Tribes) service- Yes No
If Yes, give following description:-
 - (a) Name of Service-
 - (b) Place of posting –
 - (c) Monthly income-
- (iii) Whether pays professional tax Yes No
- (iv) Whether holds self owned house-hold having a building of three or more cemented rooms with concrete roof Yes No

(v) Whether monthly Income of any member of family is more than Rs. 20,000/- Yes No

(v) Whether all the three equipments- Two Wheeler, Refrigerator and Washing Machine are available Yes No

(vi) Whether house-hold has Four Wheeler Yes No

(vii) Whether house-hold has Washing Machine Yes No

Date
Place

Signature /Thumb Impression of Applicant
Name-

Declaration

Madam / Sir

I along with my family declare that entries of application are true. I have not submitted application for Ration Card earlier. If any fact mentioned in application is found untrue, I will be responsible to face penal/legal action.

Date
Place

Signature /Thumb Impression of Applicant
Name-

Under Priority House Hold (PHH):-
Application form – Accepted


Rejected

Reason of rejection -

Application Pro-forma- 'kh'

(Pro-forma for rectification in Ration Card or for surrendering/ cancelation of Ration Card under Bihar Right to Public Services Act)

{See Section 9 of National Food Security Act, 2013 and Sub Para -13, 14 of Para-3 and Sub Para-7, 8, 9 of Para-4 of Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015}



1. Name of Applicant
2. Adhar/EID Number
3. Mobile Number
4. Father's/Husband's Name of Applicant
5. Full Residential Address
6. Ration Card No.
7. Name of concerned dealer and license No.
8. Reason of rectification in Ration Card-
 - (a) Change of residence
 - (b) Birth / Death
 - (c) Factual errors of Ration Card
 - (d) Other reason

9. Description for rectification

Sl. No.	Name	Father's /Husband's Name	Gender	Age	Marital Status	Relation
1	2	3	4	5	6	7

Adhar/EID No.	Mobile No.	Occupation / Service	Source of Income	Monthly Income
8	9	10	11	12

10. Grounds for surrender / Cancellation

(A) Tick () either Yes or No, in case of change in Residential, Birth, Marital, Social and Economical change of rural area-

- (i) Whether owns motor driven tricycle / four wheeler Yes No
- (ii) Whether owns machine driven three/four wheeled agriculture equipments Yes No
- (iii) Whether holds non-agriculture professional family house-hold registered under the government Yes No
- (vi) Whether monthly income of any member of family is more than Rs. 10,000/- Yes No
- (v) Whether pays Income Tax Yes No
- (vi) Whether pays professional tax Yes No
- (vii) Whether all rooms (either three or more) of house in which he/she lives is made up of cemented walls and roof Yes No
- (viii) Whether family holds at least one agriculture equipment with 2.5 or more acres of irrigated land Yes No
- (ix) Whether holds house-hold with five or more acres of irrigated land for two or more crop seasons Yes No
- (x) Whether holds house-hold having one agriculture equipment at least with 7.5 or more acres of land Yes No
- (xi) Whether applicant or any member of family is in service Yes No
- If Yes, give following details:-
- (d) Name of Service-
- (e) Place of posting -
- (f) Monthly income-

(B) Tick () either Yes or No, in case of change in Residential, Birth, Marital, Social and Economical change of urban area-

- (i) Whether pays Income Tax Yes No
- (ii) Whether applicant of any member of his/her family is in Group A, Group B, Group C and Group D (excluding group D member of Schedule Caste /Schedule Tribes) service- Yes No
- If Yes, give following description:-
- (a) Name of Service-
- (b) Place of posting -
- (c) Monthly income-
- (iii) Whether pays professional tax Yes No
- (iv) Whether holds self owned house-hold having a building of three or more cemented rooms with concrete roof Yes No

(v) Whether monthly Income of any member of family is more than Rs. 20,000/- Yes No

(vi) Whether all the three equipments- Two Wheeler, Refrigerator and Washing Machine are available Yes No

(vii) Whether house-hold has Four Wheeler Yes No

(viii) Whether house-hold has Washing Machine Yes No

Kindly rectify the Ration Card according to Para----- above / cancel the Ration Card according to Para- ----- above.

Signature /Thumb Impression of Applicant
Name-

Date
Place

Declaration

Madam / Sir

I along with my family declare that entries of application are true. If any fact mentioned in application is found untrue, I will be responsible to face penal/legal action.

Signature /Thumb Impression of Applicant
Name-

Date
Place

3. Other entries of Department's notification No. 19431 dated 23-12-2013 will remain as earlier.
4. Department of Food and Consumer Protection, Bihar, Patna will issue other required formats, time to time, after consultation with the Law Department.

By the order of Governor of Bihar,

ह0/-

(Dayanidhan Pandey)

Additional to Government.

संख्या-18/लो0से0अ0-12-01/2016(खण्ड)सा0प्र017408/पटना 15 दिनांक-30-12-16
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनु0-सी.डी.।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-18/लो0से0अ0-12-01/2016(खण्ड)सा0प्र017408/पटना 15 दिनांक-30-12-16
प्रतिलिपि-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं विभागीय आई.टी. मैजेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।